आदेश

प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/आवेदक के कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 3.76 है. में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 0.09 है. भूमि में से दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे लम्बाई 4 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल 16 वर्म मीटर भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ते में रूप में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि प्रार्थी/आवेदक के भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 3.76 है. भूमि में से कम की जाकर अप्रार्थीगण के भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 0.09है में समायोजित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक .... मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)